स्टेट क्राईम रिकार्ड्स ब्यूरो
राज., जयपुर

।। कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर ।।

(प्रशिक्षण निदेशालय)

दिनांक............

निदेशक............

पु. अधीक्षक-I ......JL......

पु. अधीक्षक-II ....

अति॰ पु. अधीक्षक............

शाखा............ फोर्स

क्रमांकः प.11(01)प्रशि./पोलोसी/2014/पार्ट–3/4812-92 दिनांकः 16-06-2016

स्थाई आदेश कमांक– 11/2016

राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के नियम 27(3) के तहत उप निरीक्षक पुलिस से पुलिस निरीक्षक (इण्टेलीजेन्स) के पद की पदोन्नति संवर्ग पाठ्यक्रम हेतु चयनित अभ्यार्थियो को पदोन्नति संवर्ग पाठ्यक्रम कराने हेतु राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के नियम 30 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियो का उपयोग करते हुऐ पूर्व में प्रसारित निर्देश/ आदेश के व्यतिक्रम में उप निरीक्षक पुलिस से पुलिस निरीक्षक (इण्टेलीजेन्स) का संलग्न पदोन्नति संवर्ग पाठ्यक्रम निर्धारित जाता है। यह पाठ्यक्रम तुरन्त प्रभाव से लागू होगा।

15/6/16

(मनोज भट्ट)
महानिदेशक पुलिस,
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. महानिदेशक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस राजस्थान, जयपुर। SCRB
3. निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।
4. पुलिस आयुक्त जयपुर/ जोधपुर।
5. समस्त महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान।
6. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक, मय जीआरपी अजमेर/जोधपुर।
7. निदेशक, राजस्थान इण्टेलीजेन्स ट्रेनिंग अकादमी, जयपुर
8. पुलिस अधीक्षक, केन्द्रीय भण्डार, पुलिस मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर।

15.06.2016

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस,
(प्रशिक्षण) राजस्थान, जयपुर।

R-4043
15/7/16

राज्य विशेष शाखा
उप निरीक्षक से पुलिस निरीक्षक
पदोन्नति प्रशिक्षण पाठ्यक्रम
(प्रशिक्षण अवधि–08 सप्ताह, परीक्षा अवधि–1 सप्ताह)

1	कुल अवधि	63 दिवस
2	प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध दिन	48 दिवस
3	अन्तरंग प्रशिक्षण के लिए 48 (दिवस) X 6 (कालांश)	288 कालांश
4	बहिरंग प्रशिक्षण के लिय 48 (दिवस) X 2 (कालांश)	96 कालांश
5	इन्डोर परीक्षाएं	3 दिवस
6	फायरिंग एवं आउटडोर परीक्षाएं	3 दिवस
7	खेल 48 X 1	48 कालांश

परीक्षा संबंधी आवश्यक निर्देश :–

1. आन्तरिक व बाह्य परीक्षा (इन्डोर/आउटडोर) में प्रत्येक प्रश्न पत्र में 45% अंक और कुल आन्तरिक व बाह्य परीक्षा (इन्डोर/आउटडोर) के प्रश्न पत्रों के अंको का योग 50% (एग्रीगेट) उत्तीर्ण होने के लिये आवश्यक है।
2. आन्तरिक व बाह्य परीक्षा (इन्डोर/आउटडोर) के अंकों एवं निदेशक/प्रधानाचार्य द्वारा प्रदत्त (आन्तरिक मूल्यांकन) अंको के योग का 50% अंक उत्तीर्ण होने के लिये आवश्यक है।
3. समस्त आन्तरिक व बाह्य (इन्डोर/आउटडोर) परीक्षायें मस्केट्री एवं फायरिंग को छोडकर बोर्ड द्वारा ली जायेगी। मस्केट्री एवं फायरिंग की परीक्षा निदेशक/प्रधानाचार्य स्वयं या उनके द्वारा मनोनीत पुलिस अधिकारियों द्वारा ली जायेगी। मस्केट्री व फायरिंग परीक्षा की अंक तालिका बोर्ड के अध्यक्ष को दो प्रतियों में प्रस्तुत की जायेगी।
4. परीक्षा हेतु बोर्ड का गठन प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा किया जायेगा।
5. अन्तिम परीक्षा में बोर्ड निम्नानुसार होगा :–

1.	महानिरीक्षक पुलिस	अध्यक्ष
2.	उप महानिरीक्षक पुलिस/पुलिस अधीक्षक	सदस्य
3.	निदेशक/अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक	सदस्य सचिव

राज्य विशेष शाखा
उप निरीक्षक से पुलिस निरीक्षक
पदोन्नति प्रशिक्षण पाठ्यक्रम
(प्रशिक्षण अवधि–08 सप्ताह, परीक्षा अवधि–1 सप्ताह)

विषयवार विवरणिका

प्रश्न प्रत्र	विषय वस्तु	कालांश	पूर्णांक
1	वृहद अधिनियमों की सामान्य जानकारी एवं विविध अधिनियम	54	100
2	आसूचना	90	100
3	सुरक्षा	90	100
4	व्यवहारिक पुलिस, नेतृत्व कौशल, मानव व्यवहार, कम्प्यूटर	54	100
	आंतरिक मूल्यांकन	—	50
	कुल (अंतरंग प्रशिक्षण)	**288**	**450**
5	बहिरंग प्रशिक्षण (आउटडोर)	96	200
	खेल	48	—
	कुल बहिरंग प्रशिक्षण	**144**	**200**

राज्य विशेष शाखा
उप निरीक्षक से निरीक्षक
पदौन्नति प्रशिक्षण पाठ्यक्रम
अंतरंग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम विवरण

प्रश्न पत्र – 1 पूर्णांकः 100

वृहद अधिनियमों की सामान्य जानकारी व विविध अधिनियम

कालांशः 54

1– भारतीय दण्ड संहिता – कालांशः 09

क्र.सं.	विषयवस्तु
1.1	धारा 75, 99, 100, 103, 107, 120ए, 120बी, 124ए
1.2	धारा 153ए, 153एए, 153 बी, 166ए, 164बी, 174ए, 188, 195ए,
1.3	धारा 201, 204, 212, 216ए, 223, 224, 225, 228ए, 229ए, 295, 295ए,
1.4	धारा 299, 300, 302, 304, 304बी, 306, 307, 326ए, 326बी
1.5	धारा 330, 331, 348, 354ए से 354 डी, 364ए, 370, 370ए
1.6	धारा 375, 376, 376ए से 376 ई,
1.7	धारा 378, 383, 390, 391, 395, 396, 399. 400, 401, 402
1.8	धारा 419, 420, 436, 460, 463 से 471, 498ए

2–दण्ड प्रकिया संहिता – कालांशः 09

क्र. सं.	विषयवस्तु
2.1	धारा 41 से 60, 82, 83, 91 से 100, 102
2.2	122, 129 से 133, 144, 144ए, 145, 146
2.3	154 से 176, 299, 306 से 308
2.4	436 से 439, 446, 446ए
2.5	451 से 459, 468 से 473, 482

3–साक्ष्य अधिनियम – कालांशः 06

क्र.सं.	विषयवस्तु
3.1	परिभाषाएं – धारा 3
3.2	धारा 17, 24 से 27, 32
3.3	धारा 45, 45ए, 46, 47, 47ए
3.4	धारा 62, 63, 65ए, 65बी, 67ए, 101
3.5	धारा 113ए, 133बी, 114ए, 118, 119, 133
3.6	धारा 141 से 143, 154, 159, 160, 161

4-- विविध अधिनियमों की सामान्य जानकारी – कालांशः 12

क्र.सं.	विषयवस्तु
4.1	राजस्थान पुलिस एक्ट 2007 – धारा 02, 10, 16, 17, 19, 21, 29, 30, 32 से 39, 43, 44, 55, 60
4.2	राजस्थान पुलिस रूल्स 2008 – सामान्य जानकारी
4.3	एनडीपीएस एक्ट 1985 में तलाशी व जप्ती के सम्बन्ध में विशेष प्रावधान और आज्ञापक प्रावधान
4.4	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 एवं रूल्स 2012
4.5	किशोर न्याय अधिनियम–1986, संशोधित अधिनियम 2000
4.6	वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972
4.7	Indian Arms Act. 1959 (Section 2, 3, 4, 7, 8 19, 21, 25 to 30, 39)
4.8	Indian Explosive Substances Act. 1908 Section 1 to 7 and Indian Explosive Act. 2008
4.9	Motor Vehicles Act 1988 (Section 207)
4.10	The IT Act. 2000 important section and Amendment Act. 2008 Section 65 to 80, 84, 84A
4.11	The IT (Guidelines for cyber cafe) Rules 2011
4.12	Prevention of Damage to Public Property Act. 1984
4.13	The SC and The ST Act. (Prevention of Atrocities Act 1989)

5– **ACT APPLICABLE TO CID (SSB) WORKING -** कालांशः 18

क्र.सं.	विषयवस्तु
5.1	The Foreigners Act, 1946 Section 02, 03, 07, 11, 13, 14 Indian Foreigners Order 1948
5.2	Indian Passport Rules 1950 and Act. 1967 Section 8, 9, 10, 12, 13, 14 and amendment Act. 1993
5.3	Indian Official Secrets Act, 1923 Section 3 to 10
5.4	National Security Act, 1980 and Amendment Act 1987 Section 3, 4, 5, 16
5.5	The Religious Institutions (Prevention of Misuse)Act, 1988
5.6	Weapons of Mass destruction and their delivery systems (Prevention of unlawful activities) Act, 2005
5.7	लोकसेवा गारन्टी अधिनियम, 2012
5.8	Unlawful activities (Prevention Act.) 1967 and amendment Act. 2012
5.9	Prevention of Corruption Act 1988
5.10	Terrorist and Disruptive Activities Prevention Act. 1987
5.11	The Prevention of Seditious Meeting Act 1911

उपरोक्त सभी बिन्दुओं की जानकारी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान केस लॉ तथा पुलिस मुख्यालय के परिपत्र/स्थाई आदेशों के परिपेक्ष्य में दी जावे।

प्रश्न पत्र–2 आसूचना

पूर्णांक: 100
कालांश: 90

1– भारत में सी.आई.डी. का इतिहास — कालांश: 02

2– सी.आई.डी. (SSB) के मेन्युअल के निम्न विषयों की जानकारी — कालांश: 70

क्र.सं.	विषयवस्तु
2.1	राज्य विशेष शाखा का संगठन व संरचना
2.2	ट्रेड क्राफ्ट
2.3	आसूचना संग्रह की विधियॉ व आधारभूत आसूचना (आपराधिक व कानून व्यवस्था से संबंधित), अन्य आसूचना एजेन्सी और उनका राज्य पुलिस के साथ समन्वय
2.4	आसूचना संग्रह व वितरण
2.5	सोर्स व ऐजेन्ट एवं सोर्स हेण्डलिंग, ब्रिफिंग–डि–ब्रिफिंग, सेफ हाउस एवं रिपोर्ट राईटिंग
2.6	कवर व एलीबी का प्रायोगिक ज्ञान
2.7	निगरानी/तकनीकी निगरानी (surveillance/technical surveillance), निगरानी का प्रायोगिक ज्ञान
2.8	सैल फोन की तकनीक व कॉल डिटेल का विशलेषण एवं सोशल नेटवर्किंग का आसूचना संग्रहण में उपयोग
2.9	गुप्त जॉच का प्रायोगिक ज्ञान
2.10	तकनीकी उपकरण (Technical Equipments) का प्रायोगिक ज्ञान
2.11	अन्तावरोध (interception)
2.12	पासपोर्ट व वीजा (passport and visa)
2.13	फोरेनर्स (foreigners)
2.14	बोर्डर इन्टैलीजेन्स (Border Intelligence)
2.15	काउन्टर इन्टैलीजेन्स (Counter intelligence)
2.16	जासूसी (Espionage)
2.17	पूछताछ (Interrogation) का प्रायोगिक ज्ञान
2.18	आंतकवाद एवं उग्रवाद, साम्प्रदायिकता व धार्मिक कट्रपंथिता
2.19	Observation and memory training का प्रायोगिक ज्ञान
2.20	किसान ,छात्र, श्रमिक व राजनैतिक पार्टियों के आन्दोलन व अन्य गतिविधियॉ
2.21	स्वयं सेवी संगठनों की गतिविधियां
2.22	केन्द्रीय व राज्य कर्मियों की गतिविधियां

3– जिला विशेष शाखा (DSB) के मेन्युअल के आधार पर DSB कार्यप्रणाली की जानकारी एवं राज्य विशेष शाखा से सम्बन्ध तथा पुलिस थाना स्तर पर सत्यापन कार्य में पुलिस की भूमिका

कालांश:10

4— रेंज स्तर व थानों पर कार्यरत आसूचना अधिकारियों के कार्य, रिकॉर्ड संधारण व रिपोर्ट राइटिंग

कालांश: 08

प्रश्न पत्र –3 पूर्णांक: 100

सुरक्षा कालांश: 90

1– सुरक्षा कालांश: 10

क्र.सं.	विषयवस्तु
1.1	सुरक्षा के मूलभूत सिद्धान्त
1.2	सुरक्षात्मक परिदृश्य विश्व –भारत व राज्य के संदर्भ में
1.3	भारत व राज्य में सक्रिय आंतकवादी संगठन

2– वी.आई.पी. सुरक्षा (समग्र रूप से) कालांश: 20

क्र.सं.	विषयवस्तु
2.1	परिभाषा व परिचय, सुरक्षा के उद्धेश्य, मूलभूत सिद्वान्त
2.2	वी.आई.पी. की श्रेणियां (X, Y, Z, Z^{+}) तथा उनका निर्धारण
2.3	वी.आई.पी. सुरक्षा में ASL, ASC व एक्सेस कन्ट्रोल के बारे में जानकारी, कॉर्डन प्रणाली का महत्व एवं ASC का प्रायोगिक ज्ञान
2.4	एक्सेस कन्ट्रोल
2.5	वॉक एबाउट ड्रिल का प्रायोगिक ज्ञान
2.6	कन्टीजेन्सी प्लान
2.7	CPT/ HPT की कार्यप्रणाली एवं प्रायोगिक ज्ञान
2.8	वी.आई.पी. के सुरक्षा इन्तजाम– आम सभा, सडक यात्रा, हेलीपेड, एयरपोर्ट तथा रात्री विश्राम के दौरान सुरक्षा कर्मियों की तैनाती
2.9	आपात स्थिति के दौरान सुरक्षा कर्मियों के द्वारा की जाने योग्य कार्यवाही
2.10	प्राथमिक उपचार तथा वी.आई.पी. के ब्लड ग्रुप एवं बीमारियों के बारे में जानकारी
2.11	अग्निशमन यंत्रो के उपयोगों की जानकारी
2.12	वी.आई.पी. सुरक्षा के संदर्भ में विभिन्न संचार माध्यमों के बारे में जानकारी

3– पी.एस.ओ. (योग्यता, महत्व व ड्यूटी, **Do's and Don'ts**) कालांश: 10

4– महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था कालांश: 10

क्र.सं.	विषयवस्तु
4.1	विभागीय सुरक्षा (भौतिक सुरक्षा, दस्तावेज सुरक्षा, कार्मिक सुरक्षा, कम्प्यूटर व संचार सुरक्षा), एयरपोर्ट, रेल्वे स्टेशन, बस स्टेण्ड सुरक्षा एवं औद्योगिक सुरक्षा
4.2	अत्यावश्यक (Vital) संस्थानो की सुरक्षा, श्रेणीवार विवरण (राज्य के सन्दर्भ में)
4.3	सुरक्षा के सामान्य निर्देश :– क्या करना चाहिए, क्या नहीं।

5-- आन्तरिक सुरक्षा योजना (INTERNAL SECURITY SCHEME) कालांश: 06

6-- आपदा प्रबन्धन कालांश: 06

7-- बीडीएस, डॉग स्क्वाड, एण्टी सबोटॉज चैक तथा विभिन्न एक्सप्लोजिव व सुरक्षा उपकरणों की जानकारी कालांश: 28

क्र.सं.	विषयवस्तु
7.1	विस्फोटक की परिभाषा, विशेषता, प्रकार व प्रभाव
7.2	चेन ऑफ डेटोनेशन एवं एसेसरीज ऑफ एक्सप्लोजिव
7.3	फ्यूज, डेटोनेटर व कॉर्डेक्स की जानकारी
7.4	IED व उनके मैकेनिज्म
7.5	बूबी ट्रेप्स, सर्च रूल्स व तकनीक
7.6	ASC व BDS के विभिन्न उपकरणों का प्रायोगिक ज्ञान
7.7	बम थ्रेट प्लान, बम डिस्पोजल तकनीक / RSP मैथर्ड
7.8	बम विस्फोट का (Live Demo) एवं मौके की कार्यवाही के संबंध में प्रायोगिक ज्ञान
7.9	बम की सूचना मिलने के बाद की जाने वाली समस्त कार्यवाही का प्रायोगिक ज्ञान
7.10	DFMD & HHMD का प्रायोगिक ज्ञान
7.11	श्वान दल के बारे में सामान्य जानकारी

प्रश्न पत्र–4 पूर्णांकः 100

व्यवहारिक पुलिस, नेतृत्व कौशल, मानव व्यवहार, कम्प्यूटर

कालांशः 54

1– व्यवहारिक पुलिस (सामान्य जानकारी) कालांशः 12

क्र.सं.	विषयवस्तु
1.1	प्रथम सूचना रिपोर्ट, गिरफ्तारी, बयान, नक्शा मौका, मेडिकल, सर्च, जब्ती, चार्जशीट, एफ.आर., 174 Crpc कार्यवाही व पंचायत नामा तैयार करने की संक्षिप्त जानकारी
1.2	विभिन्न तरह की फर्द तैयार करना, गिरफ्तारी, जब्ती, सुपुर्दगी, पंचायतनामा, खाना तलाशी आदि। घटनास्थल पर बरती जाने वाली सावधानियां, इलेक्ट्रोनिक सबूतों की जब्ती व रख–रखाव तथा घटनास्थल हेतु चेकलिस्ट की संक्षिप्त जानकारी
1.3	अपराधों की रोकथाम के तरीकेः– गश्त, नाकाबन्दी, बीट प्रणाली एवं बीट बुक, सूत्र बनाना, अपराध अनुसंधान, अपराध नक्शा, अपराध संवेदनशील क्षेत्रो का निर्धारण के बारे में संक्षिप्त जानकारी
1.4	कानून व्यवस्था एवं भीड प्रबन्धन में विशेष शाखा की भूमिका
1.5	राज्य में पुलिस प्रशासनः– पुलिस मुख्यालय, रेंज, जिला, कमिश्नरेट स्तर पर सर्किल व पुलिस स्टेशन, पुलिस अधिकारी की Rank और Badges की जानकारी
1.6	प्रमुख केन्द्रीय पुलिस संगठन तथा उनकी भूमिकाः– IB, SPG, RAW, NSG, CBI, BPR&D, BSF, NCRB, CRPF, NCB, RPF, RAF, CISF, NIA, SSB, ITBP
1.7	राज्य के पुलिस संगठन तथा उनकी भूमिका CID (CB), CID (SSB), GRP, ACB, ATS, SOG, SCRB, FSL, Police Telecommunications, Police Training Institutions.
1.8	पोलीग्राफ की जानकारी, ब्रेन मैपिंग/नार्को टेस्ट, डीएनए टेस्ट, आग्नेय अस्त्रों व विस्फोटकों की जानकारी तथा उनके प्रकार, प्रलेख/लेख, हस्ताक्षरों के संबंध में FSL की सहायता, फुट प्रिन्ट व फिंगर प्रिन्ट आदि के बारे मे जानकारी
1.9	मानवाधिकार एवं मानवाधिकारों का संरक्षण, महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग व एस.सी./एस.टी. आयोग, राष्ट्रीय व राज्य मानवाधिकार आयोग की भूमिका तथा उक्त वर्गो के प्रति पुलिस की संवेदनशीलता। महिलाओं पर अत्याचार एवं संरक्षण, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीडन, घरेलू हिंसा व महिला परामर्श केन्द्र की कार्य प्रणाली इत्यादि के बारें में जानकारी
1.10	पुलिस द्वारा गिरफ्तारी, हथकडी व हिरासत से फरारी के सम्बन्ध में न्यायालय के निर्देश, सी.एल.जी. व जन सहभागिता का पुलिस कार्यो में महत्व एवं पुलिस व जनता के मध्य सम्बन्ध

2– SSB के संदर्भ में व्यवहारिक ज्ञान कालांश: 15

2.1	राज्य विशेष शाखा के समस्त अनुभागों – आर.टी.आई., आरबीडीपीएस, सुगम, संस्थापन, फोटों अनुभाग, लेखा शाखा, स्टोर, सामान्य शाखा, एम.टी., रिसिप्ट डिस्पेच, एससीआर, कोर्डिनेशन, इन्टैलीजेन्स, एसएसबी के अन्य विविध कार्य, एफ एण्ड एल, पी एण्ड एम, एल एण्ड एस, एस एण्ड वाई, एफएस, कार्ड इण्डेक्स, वेरीफिकेशन, ऑन लाईन वीजा, सुरक्षा/एटीसी के विविध कार्य, वीएस, आईएस, स्वागत कक्ष, सुरक्षा गार्ड, एएससी, बीडीएस, डॉग स्कॉयड, आर्मोरर, एटीसी, बीआई, सीआईसी, पाक, बीडी, स्मैक, सर्विलेंस, तकनीकी, कम्प्युटर शाखा के कार्य व संधारित रिकॉर्ड की जानकारी
2.2	जोन कार्यालय व जोन यूनिट व डीएसबी कार्यालय के बारे में जानकारी –सामान्य, वामपंथीदल, श्रमिक संगठन, राज्य कर्मचारी, केन्द्रीय कर्मचारी छात्र एवं युवा संगठन, किसान संगठन, राजनीति, हिन्दु संगठन, साम्प्रदायिक गतिविधियां, मुस्लिम, ईसाई, पाक अनुभाग, की जानकारी व इनके समस्त अनुभागों के कार्य व संधारित रिकॉर्ड की जानकारी
2.3	जोन ऑफिस, जोन युनिट, व सम्बन्धित अन्य विभागों से मुख्यालय को भेजी जाने वाली रिपोर्ट–दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, वार्षिक प्रतिवेदन
2.4	Office File Management (Noting, Drafting and Record Keeping)

3– नेतृत्व कौशल, मानव व्यवहार कालांश: 07

3.1	व्यक्तित्व के प्रकार (Types of personality)
3.2	निर्णय लेने के तरीके (Leadership and decision making)
3.3	अभिप्रेरणः–व्यक्तिगत एवं पारिस्थितिक कारक (Motivation personal and environmental factors)
3.4	सामाजिक एवं अपराधिक मनोविज्ञान (criminal psychology)
3.5	भीड़ मनोविज्ञान (crowd psychology)
3.6	तनाव प्रबधंन (Symptoms, Test, Relief), समय प्रबन्धन
3.7	संवाद, परस्पर व्यवहार एवं परामर्श हेतु प्रशिक्षण
3.8	अधीनस्थ का व्यवसायिक सशक्तिकरण (Profeshional Competence)

4— COMPUTER BASICS

कालांश: 20

4.1	Computer fundamental and importance of computer
4.2	Hardware and software of a computer
4.3	Operating systems-windows (Theory & Practical)
4.4	Virus/Antivirus
4.5	Backup and storage Devices.
4.6	Microsoft word (Theory & Practical)
4.7	Microsoft excel (Theory & Practical)
4.8	Microsoft Power Point (Theory & Practical)
4.9	Internet & e-mail.
4.10	Overview of Social Media
4.11	Overview of CCTNS

आन्तरिक मूल्यांकन

अंक: 50

क्र.स.	विषय एवं संदर्भ	अंक
01	प्रशिक्षण गतिविधियों में भागीदारी एवं रूचि।	25
02	अनुशासन	25

राज्य विशेष शाखा
उप निरीक्षक पुलिस से पुलिस निरीक्षक
पदौन्नति प्रशिक्षण पाठ्यक्रम
आउटडोर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

प्रश्न पत्र संख्या	विवरण	पूर्णांक 200	कालांश 96
1	शारीरिक प्रशिक्षण	50	31
1.1	फ्री हैण्ड पी.टी./योगासन, प्राणायाम	35	—
1.2	रोड वॉक एण्ड रन 2 किमी (पुरूष :— दो किलोमीटर पैदल चाल/दौड — पुरे अंक प्राप्त होने के लिए 12 मिनट, हर अतिरिक्त 15 सैकेंड के 1 अंक कम कर दिया जावेगा) (महिलाओं :— एक किलोमीटर पैदल चाल/दौड — पुरे अंक प्राप्त होने के लिए 09 मिनट, हर अतिरिक्त 15 सैकेंड के 1 अंक कम कर दिया जावेगा)	15	—
2	शस्त्र प्रशिक्षण, मस्केट्री, फील्ड क्राफ्ट, टेक्टिक्स एवं ड्रिल	150	65
2.1	फील्ड क्राफ्ट, टेक्टिक्स एवं ड्रिल	75	40
	1. ड्रिल प्रशिक्षण —टर्न आउट,बिना हथियार ड्रिल, हथियार सहित ड्रिल, निर्देशात्मक योग्यता	—	—
	2. फील्ड क्राफ्ट टेक्टिक्स, अम्बुश, घेराबन्दी एवं तलाशी	—	—
	3. एन्टी सबोटाज चैक ,उपकरणों का उपयोग, उपकरणों का रख–रखाव एवं बम डिस्पोजल उपकरणो की जानकारी	—	—
	4. वी.आई.पी. सुरक्षा (अ) कारकेड (ब) वॉक अबाउट ड्रिल (पैदल) (स) रनिंग फेन्डर (वाहन के साथ) (द)आपातकाल(Contengency Plan)	—	—
	5. फायर फाईटिंग, डीएफएमडी/एचएचएमडी, का प्रायोगिक ज्ञान	—	—

2.2	शस्त्र प्रशिक्षण व मस्केट्री	75	25
2.2 A.	शस्त्र ज्ञान	—	—
	1. 9 एमएम ऑटो पिस्टल, 38 बोर स्पेशल रिवाल्वर, ग्लोक पिस्टल	—	—
	2. कारबाईन, एम.पी.5, इन्सास, एके 47, एस एल आर 7.62	—	—
	3. रबड. बुलेट, प्लास्टिक पेलेट, गैस गन एवं गैस ग्रेनेड	—	—
	4. विस्फोटकों के प्रकार, बम कैसे बनाया जाता है (बम के घटक), बम और आईईडी में अन्तर, बम ब्लॉस्ट की क्रिया विधि, विस्फोटक डिवाईस, विस्फोटक नमूने, आईईडी।	—	—
2.2 B	मस्केट्री व फायरिंग– 9.एमएम पिस्टल/ग्लोक पिस्टल से टारगेट फिगर –2 (आवश्यकता अनुसार)	—	—
	1. 9.एमएम पिस्टल/ग्लोक पिस्टल से ग्रुपिंग प्रेक्टिस 10 मीटर से 5 राउण्ड	—	—
	2. एप्लीकेशन प्रेक्टिस 15 मीटर से 5 राउण्ड	—	—
	3. एप्लीकेशन प्रेक्टिस 15 मीटर से 5 राउण्ड, 15 सैकेन्ड में	—	—
	4. 100 मीटर द्रोडने के बाद 15 मीटर से 5 राउण्ड, 75 सैकेन्ड में टारगेट हिट	—	—

प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में मोड्युल्स का क्रम वार प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा माड्युल एक से आरम्भ कर उसके पूर्ण होने पर मॉड्युल नं. दो तत्पश्चात क्रमवार पूर्ण होने तक प्रशिक्षण दिया जायेगा।